न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 9/2020

जीसीएमएस संख्याः 2020/00027

1. बच्चू सिंह । पुत्रगण रामभरोसी जाति लोधी (लोधा) निवासी मनियां रोड़
2. राजवीर सिंह। मांगरोल तहसील मनियां व जिला धौलपुर राज0

..................वादीगण

बनाम

1. पूरनसिंह । पुत्रगण रामभरोसी जातिगण लोधी (लोधा) निवासीगण मांगरोल
2. विशम्भर सिंह। तहसील मनियां जिला धौलपुर
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली जरिये शाखा प्रबंधक
4. श्रीमान तहसीलदार मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर ....प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या : 15/2020

जीसीएमएस संख्याः 2020/00047

1. विशम्भर सिंह पुत्र रामभरोसी जाति लोधी (लोधा) निवासी ग्राम मांगरोल तहसील मनियां व जिला धौलपुर राज0

..................वादी

बनाम

1. बच्चूसिंह । पुत्रगण रामभरोसी जातिगण लोधी (लोधा) निवासीगण ग्राम मांगरोल
2. राजवीरसिंह । तहसील मनियां जिला धौलपुर
3. पूरनसिंह ।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली जरिये शाखा प्रबंधक पी.एन.बी. शाखा खेरली तहसील मनियां जिला धौलपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील मनियां जिला धौलपुर ....प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 15.07.2025

उक्त दोनो वाद मे समान पक्षकार, समान आराजी, समान अनुतोष होने के कारण उक्त प्रकरणों का एक साथ निर्णय किया गया। उक्त वाद बाद तहकीकात दिनांक 12.02.2021 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किये गये, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 607 दिनांक 01.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है।

विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव विवादित आराजी पर वर्तमान खातेदार काश्तकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1039, 1065, 1066, 1067, 436 स्थिति ग्राम मांगरोल तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. पूरनसिंह पुत्र रामभरोसी हि0 पूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदार	1039	0.2655 है0
	1065/1	0.0316 है0
	1066/1	0.0790 है0
	1067/4	0.0475 है0
2. राजवीरसिंह पुत्र रामभरोसी हि0 पूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदार राहिन हि0 पूर्ण (खाता) पी.एन.बी. शाखा खेरली	436/2	0.2782 है0
	1065/2	0.0316 है0
	1066/2	0.0790 है0
	1067/3	0.0348 है0
3. विशम्भर सिंह पुत्र रामभरोसी हि. पूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदार	436/1	0.2782 है0
	1065/3	0.0317 है0
	1066/3	0.0790 है0
	1067/2	0.0347 है0
4. बच्चूसिंह पुत्र रामभरोसी हि0 पूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदार	1065/4	0.0316 है0
	1065/5	0.2655 है0
	1066/4	0.0791 है0
	1067/1	0.0474 है0

कुल किता 16 रकवा 1.6944 हैक्टेयर वाकै ग्राम मांगरौल तहसील मनियां जिला धौलपुर कुल लगान 9.94 रूपये।

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी 533 वाकै ग्राम लूला का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

1. पूरनसिंह पुत्र रामभरोसी हि0 पूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदार	533/1	0.1454 है0
2. राजवीरसिंह, विशम्भरसिंह पुत्रान रामभरोसी रामभरोसी हि0 पूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदा/राजवीरसिंह हिस्सा 1/2 राहिन पी.एन.बी. शाखा खेरली	533/2	0.2908 है0
3. बच्चूसिंह पुत्र रामभरोसी हि. पूर्ण जाति लोधा सा. देह खातेदार	533/3	0.1455 है0

कुल किता 3 रकबा 0.5817 हैक्टेयर बाकै ग्राम लूला का पुरा तहसील मनिया जिला धौलपुर कुल लगान 3.49 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव बैंक के राहिन बदस्तूर रहेगें। विवादित आराजी के कुल लगान 13 रूपये 43 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 26 रूपये 86 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)